

विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर।

प्रश्न

19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी में गोदौलिया स्थित मल्टीलेवल पार्किंग का नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है?

(ख) उक्त मल्टी लेवल पार्किंग एच0एफ0एल0 जोन के 200 मीटर के दायरे में है तथा इसके लिए फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी एवं अन्य निर्धारित मानकों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र लिए गये हैं?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हाँ

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गोदौलिया स्थित मल्टी लेवल पार्किंग भवन का शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था, जिसके परीक्षणोंपरान्त शमन मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

गोदौलिया चौराहे पर स्थित मल्टी लेवल पार्किंग गंगा नदी से एच0एफ0एल0 जोन के 200 मीटर के अन्तर्गत स्थित है। फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या-31229/2005 कौटिल्य सोसाइटी बनाम उ0प्र0 सरकार के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.06.2022, जिसका कार्यवृत्त पत्रांक-298/वि0प्रा0/न0नि0/2022-23 दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से निर्गत किया गया है, जिसमें उक्त परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त कार्यवृत्त में उल्लेख किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।